न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 393 / 2024
अनवान : –

1. मैना देवी पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजेश पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. रमेश पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. मोनिका पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. सुनीता पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. कौशल्या पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. राधा पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. निशा पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सपना पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
9. माया पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. प्रियंका पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीया व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 464 / 472 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.0700 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि वादीया के पति मृतक काशीराम पुत्र लिछमन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम पुत्र लिछमन के नाम दर्ज है जो की वादीया का पति है काशीराम पुत्र लिछमन का देहान्त हो चुका है काशीराम पुत्र लिछमन के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 10 जो कि वादीया के पुत्र पुत्रियान है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष वादीया के हक में त्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है बाद हक त्याग

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त भूमि में वादीया अकेली काबिज दाखिल है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्यां 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण काशीराम, शपथ पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम पुत्र लिछमन के नाम दर्ज है जो की वादीया का पति है काशीराम पुत्र लिछमन का देहान्त हो चुका है काशीराम पुत्र लिछमन के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 10 जो कि वादीया के पुत्र पुत्रियान है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपनी माता के पक्ष में त्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीया अकेली काबिज दाखिल है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की [illegible] दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों [illegible] रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 464/472 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.0700 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादीया के पति काशीराम पुत्र लिछमन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम पुत्र लिछमन के नाम दर्ज है जो की वादीया का पति है काशीराम पुत्र लिछमन का देहान्त हो चुका है काशीराम पुत्र लिछमन के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 10 जो कि वादीया के पुत्र पुत्रियान है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपनी माता के पक्ष में त्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीया अकेली काबिज दाखिल है, वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक काशीराम पुत्र लिछमण के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 464/472 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.0700 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक काशीराम पुत्र लिछमन का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 393 / 2024
अनवान : –

1. मैना देवी पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजेश पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. रमेश पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. मोनिका पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. सुनीता पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. कौशल्या पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. राधा पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. निशा पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सपना पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
9. माया पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. प्रियंका पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 393 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 464 / 472 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.0700 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि में मृतक काशीराम पुत्र लिछमन का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर